

फैक्स

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक: एफ 1(2) (1) आ.प्र.एवं सहा./रा.का./2009/

5478

जयपुर, दिनांक

5.3.10

जिला कलक्टर,
अजमेर (राज0)।

विषय:- माह मार्च, 010 के राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त श्रम
सीमा का आवंटन।

प्रसंग:- इस विभाग का श्रम सीमा आवंटन आदेश क्रमांक
4053 दिनांक 22.2.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश द्वारा
आपके जिले को माह मार्च,10 के राहत कार्यों हेतु 15000 श्रमिकों की
श्रमिक सीमा जारी की गयी थी। आप द्वारा इस श्रम सीमा को बढ़ाकर
35000 करने की मांग फैक्स दिनांक 2.3.2010 द्वारा की गयी है। अतः
आपकी मांग के आधार पर माह मार्च,10 के राहत कार्यों के लिए आपके
जिले को श्रमिक सीमा 15000 के स्थान पर 35000 आवंटित की जाती है।

भवदीय,



शासन उप सचिव